

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक क्लर्क (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

रुघनाथ

बनाम

छीतर वगै०

किरम मुकदमा - प्रापत्र बाजदायरी अ० आदेश ९ नियम ४ सीपीसी

मुकदमा नम्बर:- 77 / 2023

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुये

07.06.23

प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एड० ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्तर्गत आदेश ९ नियम ४ सीपीसी का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्तर्गत आदेश ९ नियम ४ सीपीसी दर्ज रजिस्टर की जायें। वकील प्रार्थी प्रस्तुतीकरण के दौरान बहस अवगत कराया कि उक्त वादपत्र बमुकदमा उनवानी रुघनाथ बनाम छीतर वगै० दावा का मुकदमा नं. 911/2017 तारीख पेशी 18.05.2023 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिसकी जानकारी वकील प्रार्थी को मिलने पर बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रारम्भिक स्टेज पर ही स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्तर्गत आदेश ९ नियम ४ सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र उनवानी रुघनाथ बनाम छीतर वगै० दावा का मुकदमा नं. 911/2017 निर्णय फैसला 18.05.2023 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।


(दिव्या सिंघ)

सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

